

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 5
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	339.87	...	339.87	263.65	...	263.65	370.18	...	370.18	218.34	...	218.34
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	339.87	...	339.87	263.65	...	263.65	370.18	...	370.18	218.34	...	218.34
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.00	...	18.00	19.58	...	19.58	18.08	...	18.08	19.99	...	19.99
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. असम गैस क्रैकर परियोजना	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01
3. रसायन उन्नयन और विकास स्कीम	2.22	...	2.22	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
4. पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन	19.17	...	19.17	31.65	...	31.65	31.65	...	31.65	53.79	...	53.79
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	221.39	...	221.39	134.65	...	134.65	234.65	...	234.65	57.30	...	57.30
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
5. भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता	20.98	...	20.98	21.42	...	21.42	27.95	...	27.95	31.80	...	31.80
स्वायत्त निकाय												
6. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान	72.00	...	72.00	80.00	...	80.00	81.50	...	81.50	98.25	...	98.25
7. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	7.50	...	7.50	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	11.00	...	11.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	79.50	...	79.50	88.00	...	88.00	89.50	...	89.50	109.25	...	109.25
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	100.48	...	100.48	109.42	...	109.42	117.45	...	117.45	141.05	...	141.05
कुल जोड़	339.87	...	339.87	263.65	...	263.65	370.18	...	370.18	218.34	...	218.34
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

	(₹ करोड़)											
	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. उद्योग	321.87	...	321.87	222.07	...	222.07	330.10	...	330.10	192.62	...	192.62
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.00	...	18.00	19.58	...	19.58	18.08	...	18.08	19.99	...	19.99
जोड़-आर्थिक सेवाएं	339.87	...	339.87	241.65	...	241.65	348.18	...	348.18	212.61	...	212.61
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	5.73	...	5.73
जोड़-अन्य	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	5.73	...	5.73
कुल जोड़	339.87	...	339.87	263.65	...	263.65	370.18	...	370.18	218.34	...	218.34

	(₹ करोड़)											
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल इंडिया लिमिटेड												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	...	13.47	13.47	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	10.00	10.00
जोड़-एचआईएल इंडिया लिमिटेड	...	13.47	13.47	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	10.00	10.00
ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलिमर लिमिटेड												
2. ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलिमर लिमिटेड	...	666.69	666.69	610.13	610.13	...	904.32	904.32
जोड़-ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलिमर लिमिटेड	...	666.69	666.69	610.13	610.13	...	904.32	904.32
जोड़	...	680.16	680.16	...	7.00	7.00	...	617.13	617.13	...	914.32	914.32

1. **सचिवालय:** वेतन, मुद्रास्फीति आदि में वृद्धि 19.99 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

2. **असम गैस क्रैकर परियोजना:** इस योजना को (वित्त वर्ष 2020-21 से प्रभावी) सीसीईए की मंजूरी के साथ पेट्रोसायन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है।

3. **रसायन उद्यम और विकास स्कीम:** मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त व्यवहार्य प्रस्ताव की प्रवृत्ति को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग के लिए ₹ 3.50 करोड़ की निधि अपेक्षित है।

4. **पेट्रो केमिकल्स का उद्यम:** यह प्रावधान पेट्रोसायन की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए है अर्थात् पेट्रोसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क स्थापित करना और पॉलिमर टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करने के लिए है।

5. **भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता:** व.अ. में मुख्य रूप से भोपाल गैस पीड़ितों को भुगतान और वेतन वृद्धि के कारण कुल ₹ 31.80 करोड़ का अनुरोध किया गया है।

6. **केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान:** संस्थान कई सीआईपीईटी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग ₹ 98.25 करोड़ की मांग कर रहा है।

7. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान जीआईए (सामान्य, वेतन तथा पूंजी आस्तियों) के लिए है।